

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2021/ 1766

दिनांक 08/12/2021

प्रार्थीगण :-

1. प्रकाशसिंह पुत्र खेतसिंह  
जाति राजपुरोहित  
निवासी मेहरामपुरा (बावड़ीकला)  
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1. कला 2. धोधा 3. साईदाद पि. जलाल 4. कमा  
5. उकरड़ा पि. मोटू 6. मथरी पंति ताराराम  
7. मासिंगा 8. हुकमा पि. बसंत जति भील  
9. सुरताराम 10. करनाराम 11. देवाराम पि.  
वालाराम जाति जाट, निवासी बावड़ीकला  
12. खेतसिंह 13. छगनसिंह 14. हेमसिंह पि.  
खीमसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी  
मेहरामपुरा 15. तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू. राजस्व अधिनियम  
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 36/2021

दिनांक : 30.11.2021

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बावड़ीकला के मौजा मेहरामपुरा के खेत खमरा सं. 670/75 रकबा 12.15 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2021/ 1767 to 1770

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी प्रकाशसिंह
3. विप्रार्थीगण कला वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमत्ता

(भागीरथ राम II)  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन  
दिनांक 08/12/2021



उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन  
चौहटन